न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0)_बरेली।

CNR No. UPBR010052362026

अग्रिम **जमानत आवेदन–पत्र संख्या– 562/2026**

1. जीशान व
2. तालिब पुत्रगण अब्दुल मलिक,
   निवासीगण ग्राम जाफरपुर, थाना शीशगढ़, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या– 391/2022
धारा– 332, 353, 323, 324, 504 भा0दं0सं0
थाना– शीशगढ़, जिला, बरेली।

दिनांक: 10.06.2026

थाना शीशगढ़, जिला बरेली पर पंजीकृत अ0सं0–391/2022, धारा– 332, 353, 323, 324, 504 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण **जीशान व तालिब** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रेमशंकर पुत्र राम प्रसाद द्वारा थानाध्यक्ष, थाना शीशगढ़, जिला बरेली को इस आशय का दिया गया कि दिनांक 27.12.2022 को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ग्राम जाफरपुर में बकाया वसूली अभियान के तहत बकाया विच्छेदन टीम जिसमें शेर सिहं नरेन्द्र कुमार शमशाद जगदीश व स्वय मैं था। बकाया विच्छेदन टीम के द्वारा ग्राम जाफरपुर में मजार के निकट हिन्दू मोहल्ला में नफीस वानो पत्नी स्व अब्दुल मालिक जिसका विल 26056 रुपये था जिसकी बकाये पर पर केविल नरेन्द्र कुमार द्वारा कटाने पर जीशान व तालिब पुत्र स्व0 अब्दुल मालिक के द्वारा नरेन्द्र कुमार पर लाठी–डन्डों से हमला कर दिया जिससे नरेन्द्र कुमार गम्भीर रुप से घायल हो गये तथा मेरे हाथ से रजिस्टर व विद्युत विच्छेदन स्लिप लेकर फाड़ दी गई। उक्त लोगों के हमले से भयभीत होकर अन्य लोग भयभीत होकर भाग खड़े हुए एवं जान से मारने की धमकी दी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी धाराओ कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–391/2022, धारा– 332, 353, 323, 504 भा0दं0सं0 में जीशान व तालिब के विरूद्ध पंजीकृत की गई। अभियोजन केस के अनुसार मामले में विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण जीशान व तालिब के विरूद्ध धारा– 332, 353, 323, 324, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर सम्बंधित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण का संक्षेप में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र में कथन है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को झूठा व गलत फसाया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। घटना की रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गई है। उक्त वाद की मडीकल रिपोर्ट कथित घटना का समर्थन नही करती है। उक्त वाद का आरोप पत्र आ चुका है तथा पत्रावली माननीय न्यायालय जे0एम0 बहेडी, बरेली में विचाराधीन है। कथित घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 1–2 किलोमीटर की है तथा मौके पर पुलिस को सूचित न करना अभियोजन की कहानी मे सन्देह पैदा करता है। उक्त वाद का अपराध 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है तथा प्रार्थीगण दौरानें विवेचना धारा–41(1) बी के नोटिस पर थे उनके द्वारा उसका कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रश्नगत अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई दोषसिद्ध सम्बन्धी आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। दौरान विवेचना आवेदकगण/अभियुक्तगण को धारा–41(1)(क) दं0प्र0सं0 के नोटिस की तामील कराकर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर आवेदकगण/अभियुक्तगण **जीशान व तालिब** के विरूद्ध धारा– 332, 353, 323, 324, 504 भा0दं0सं0 में वर्णित दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त के द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दी गई **विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य व श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य याचिका संख्या 6400/2025 निर्णीत दिनांकित 12 अगस्त 2025** में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण जीशान व तालिब की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **जीशान व तालिब** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, अ0सं0–391/2022, धारा– 332, 353, 323, 324, 504 भा0दं0सं0 थाना शीशगढ़, जिला बरेली के प्रकरण में, उक्त मामले का विचारण पूर्ण होने तक अभियुक्त द्वारा **मु0–50,000– रूपये (पचास हजार रूपये प्रत्येक)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की **एक–एक प्रतिभू** सम्बंधित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन **स्वीकार** किया जाता है–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान जमानत, साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे।

3. विचारण प्रारंभ होने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप एवं बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत दिनांक व न्यायालय द्वारा निर्देशित अन्य तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी अग्रिम जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्रेषित की जाये।

(संदीपा यादव)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0
(यू0पी0एस0ई0बी0)बरेली।
आई0डी0 यू0पी0 6423

दिनांक – 10.06.2026

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.06.20 14:08:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court